(भारत के राजपत्र के भाग-।, खण्ड-। में प्रकाशनार्थ)

सं. 4-7/2012-आरओएचक्यू

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

****

दिनांक : 8 जनवरी, 2014

<u>संकल्प</u>

विषय: वानिकी प्रभाग का सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार - क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण 2013-2014

भारत सरकार ने वन भूमि के संरक्षण पर विशेष बल देने सहित जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देने के लिए नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलांग में दिनांक 07/04/1986 की संकल्प सं. 37-3/85-एफपी द्वारा इस मंत्रालय के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया था। देश में प्रदूषण नियंत्रण तथा परियोजनाओं और कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रबंधन सहित पर्यावरणीय प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित बढ़ते कार्य पर विचार करते हुए दिनांक 12/05/1988 की संकल्प सं. 17-3/88-पीसी द्वारा चंडीगढ़ में छठे क्षेत्रीय कार्यालय को खोलकर क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया था । वर्ष 1999 में अतिरिक्त स्टाफ का सृजन किए बिना भुवनेश्वर और बैंगलूरू में क्षेत्रीय कार्यालयों से (स्टाफ) लेकर दिनांक 08/07/1999 की संकल्प सं. 7-1/96-आरओएचक्यू द्वारा रांची में सातवें क्षेत्रीय कार्यालय का गठन करने का निर्णय लिया गया था । रांची में क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय बाध्यताओं के कारण कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका ।

2. टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका सं. 202 में लाफरेज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य संबंधित आई.ए. द्वारा दर्ज वर्ष 2007 की आई.ए. सं. 1868 में दिनांक 06/07/2011 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, व्यय वित्त समिति ने सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में दिनांक 04/03/2013 को हुई अपनी बैठक में अधिक निरंतर निरीक्षणों तथा प्रस्तावों की गहराई से छानबीन और मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिवालय के भाग के रूप में नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित चैन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची में उनके मुख्यालय के साथ चार क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया । क्षेत्रीय कार्यालयों का विस्तृत अधिदेश निम्नानुसार है -

क. <u>वन (संरक्षण) अधिनियम संबंधित कार्यकलाप:</u>

(i) ऐसे मामलों की त्वरित प्रक्रिया और निपटान के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सहायता देना;

(ii) 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली वन भूमि के विपथन के मामलों में स्थलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रारम्भ करना और अन्य मामलों में जैसा भी अपेक्षित हो;

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(iv) 5 हेक्टेयर के विस्तार तक (खनन और अतिक्रमण के विनियमन को छोड़कर) वन भूमि के विपथन का अनुमोदन और राज्य सलाहकार दलों के परामर्श से 5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर के बीच (और खनन तथा अतिक्रमण मामलों के विनियमन) मामलों पर कार्यवाही करना;

(v) चरण-I (सिद्धान्त रूप में), चरण-II (अंतिम) अनुमोदनों, स्थल निरीक्षण/निगरानी रिपोर्टों, आयोजित की गई एसएजी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्तों को वेबसाइटों पर अपलोड करना।

ख. <u>कार्य योजना से संबंधित कार्य :</u>

(i) केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नियंत्रणाधीन वन में कार्य करने के लिए प्रबंधन/कार्य योजनाएं तैयार करने में सहायता करना ।

(ii) प्रबंधन/कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करना ।

ग. <u>अन्य योजनाओं की मॉनीटरी करना :</u>

(i) वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीम की मॉनीटरी और मूल्यांकन करना ;

(ii) काम्पा निधियों की उपयोगिता की मॉनीटरी करना ;

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मॉनीटरी करना ।

घ. <u>पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण कार्य :</u>

(i) परियोजनाओं/कार्यकलापों को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है, तत्पश्चात के लिए निर्धारित शर्तों/सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करना ;

(ii) पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) में निर्धारित शर्तों के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्टों की जांच और उसका विश्लेषण करना तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करना ;

(iii) स्थल दौरे द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों की औचक और रैंडम-जांच सत्यापन करना ;

(iv) मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशित जांच करना ;

(v) उद्योगों, स्थानीय निकायों, सरकार (राज्य/केन्द्र) द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुवर्तन करना ;

(vi) परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कार्यप्रणाली और स्थिति, विधिक और प्रवर्तन उपायों, नमभूमियों कच्छ वनस्पतियों और जैव-मंडल रिजर्वों जैसे विशेष संरक्षण क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित सूचना एकत्र करना और प्रस्तुत करना ;

(vii) संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित), परियोजना प्राधिकरणों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल गैर सरकारी संगठन से संपर्क बनाए रखना और सहलग्नता सुनिश्चित करना ;

(viii) परिसंकटमय प्रबंधन नियमों और लोकदेयता अधिनियम के अनुप्रयोग से परिचित कराने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण विभाग हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना ; और

(ix) अनुपालन और स्थल निरीक्षण रिपोर्टों की छमाही प्रगति रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना।

ड. <u>विविध कार्य :</u>

(i) वन और गैर-वन भूमि की स्थिति ज्ञात करने के मामले में स्थायी स्थल निरीक्षण समिति की सहायता करना ;

(ii) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार करने में सहायता देना ;

(iii) जैविक विविधता के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक परामर्श देना ;

(iv) सभी वानिकी कार्यकलापों को शामिल करते हुए आंकड़ों के एकत्रण, मिलान, संग्रहण और सुधार कार्य को सरल व कारगर बनाने में राज्य/संघ राज्य सरकारों की सहायता करना और इन आंकड़ों को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय आंकड़ा प्रसंस्करण केन्द्र को संप्रेषित करना ;

(v) इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और मंत्रालय के अन्य पुरस्कारों के लिए मनोनीत व्यक्तियों का सत्यापन ;

(vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित न्यायिक मामलों में मौजूद रहना ।

(vii) पर्यावरण एवं वन मुद्दों से संबंधित आरटीआई आवेदनों, सामान्य शिकायतों को निपटाना ।

(viii) ऐसे अन्य कार्य, जो समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय और क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	**क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय**	**क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्र**
1	बैंगलूरू	कर्नाटक, केरल, गोवा और लक्षद्वीप
2	भोपाल	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात और मध्य प्रदेश

3	भुवनेश्वर	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
4	चेन्नई	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब
6	देहरादून	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड
7	लखनऊ	दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
8	नागपुर	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
9	रांची	बिहार और झारखण्ड
10	शिलांग	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गऐ कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों के पर्यवेक्षण और समन्वयन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में सचिव, भारत सरकार के समस्त नियंत्रण के अधीन नई दिल्ली में मंत्रालय की मुख्यालय इकाई उत्तरदायी होगी।

3. मंत्रालय और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता 341 है । (मुख्यालयों हेतु 22, क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग के लिए 36 तथा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लखनऊ प्रत्येक के लिए 34, भोपाल के लिए 33, चैन्नई, देहरादून, नागपुर, रांची प्रत्येक हेतु 30 और क्षेत्रीय कार्यालय चंड़ीगढ हेतु 28) ।

4. मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत स्टाफ का विवरण **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

5. यह आदेश इस विषय पर पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है ।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(डा0 वी. राजगोपालन)
सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

महाप्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा) ।

प्रति सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालों/उप राज्यपालों के निजी सचिव ।
2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री ।
3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
4. योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, संसद सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय ।
5. लेखा नियंत्रक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. राजस्व महालेखाकार/(एजीसीआर) ।
7. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश ।
8. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी राज्य भू-उपयोग बोर्ड ।
9. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय/सभी अनुभाग/इकाईयां, प्रकोष्ठ ।

(डा0 वी. राजगोपालन)
सचिव, भारत सरकार

अनुबंध- I

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चैन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, नागपुर, रांची और शिलांग स्थित दस क्षेत्रीय कायार्लयों हेतु स्वीकृत स्टाफ संख्या का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन-बैंड	वेतनमान+जीपी	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की कुल स्वीकृत क्षमता											
				आरओ एचक्यू	बंगलौर	भुवनेश्वर	भोपाल	लखनऊ	शिलांग	चण्डीगढ़	चैनई	देहरादून	नागपुर	रांची	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	अपर वन महा-निदेशक(एफसी)	एचएजी+	**रू. 75500-80000**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य)	एचएजी	**रू.. 67000-79000**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	वन संरक्षक (मध्य)/उप वन संरक्षक (मध्य)	4 3	**रू.37400-67000+जीपी 8900/ रू.37400-67000+जीपी 7600/-**	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
4	सहायक वन महा निरीक्षक	3	**रू.15600-39000+जीपी 7600/-**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	वैज्ञानिक 'एफ'	4	**रू.37400-67000+जीपी 8900**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	वैज्ञानिक 'डी'/'सी'	3	**रू. 15600-39000 + जीपी रू. 7600/-** **रू. 15600-39000 + जीपी रू.. 6600/-**	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	33
7	उप विधिक सलाहकार	3	**रू.15600-39000+जीपी 7600/-**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	सहायक विधिक सलाहकार	3	**रू.15600-39000+जीपी 6600/-**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	विधिक सहायक	2	**रू..9300-34800+जीपी 4600/-**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	एपीसीसीएफ के प्रधान निजी सचिव	3	**रू..15600-39000+जीपी 6600/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक)	2	**रू.9300-34800+जीपी 4600/-**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
12	अनुभाग अधिकारी	2	**रू.9300-34800+जीपी 4600/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
13	अनुसंधान अधिकारी (पर्या.) ग्रेड-।।	2	**रू.9300-34800+जीपी 4600/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
14	तकनीकी अधिकारी ग्रेड-। (वानिकी)	2	**रू..9300-34800+जीपी4800/-**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन-बैंड	वेतनमान+जीपी	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की कुल स्वीकृत क्षमता											
				आरओ एचक्यू	बंगलौर	भुवनेश्वर	भोपाल	लखनऊ	शिलांग	चण्डीगढ़	चैनई	देहरादून	नागपुर	रांची	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	तकनीकी अधिकारी ग्रेड-।। (वानिकी)	2	**रू.9300-34800+जीपी 4600/-**	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	10
16	सहायक	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	19
17	अनुसंधान सहायक (पर्या.)	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
18	अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)	2	**रू..9300-34800+जीपी 4200/-**	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19	निजी सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड 'सी'	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5
20	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1	**रू.5200-20200+जीपी 2400/-**	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
21	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	2	**रू..9300-34800+जीपी 4600/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
22	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	**रू.5200-20200+जीपी 2400/-**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	प्रवर श्रेणी लिपिक	1	**रू..5200-20200+जीपी 2400/-**	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	15
24	अवर श्रेणी लिपिक	1	**रू.5200-20200+जीपी 1900/-**	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	28
25	स्टाफ कार चालक	1	**रू.5200-20200+जीपी 1900/-**	-	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	20
26	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	**रू.5200-20200+जीपी 1800/-**	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37
कुल				**22**	**34**	**34**	**33**	**34**	**36**	**28**	**30**	**30**	**30**	**30**	**341**